तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **पोकरराम बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, शेरगढ़)** सू.अ.अपील संख्या 33/2023	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08–04–24	अपीलार्थी पोकरराम पुत्र मूलाराम निवासी गांव भाण्डु चारणान, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12/07/23 में ग्राम खिरजाखास तहसील शेरगढ़ के खसरा नं. 212, 325 के म्यूटेशन संख्या 83 प्रमाणित प्रति से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, शेरगढ़) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, शेरगढ़) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो पक्ष (तहसीलदार, शेरगढ़) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, शेरगढ़) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:22:33 IST
Reason: SelfAttested